

**सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न (Frequently Asked Questions)**

**आवेदकों के लिए**

**प्रश्न क्रमांक-1: केंद्रीकृत ऑनलाइन प्रवेश सुविधा के लिए पंजीयन कहाँ करना होगा ?**

**उत्तर:** उच्च शिक्षा विभाग के पोर्टल [www.mphighereducation.nic.in](http://www.mphighereducation.nic.in) अथवा [www.epravesh.nic.in](http://www.epravesh.nic.in) पर प्रवेश के लिए पंजीयन सुविधा उपलब्ध है | आवेदक इन्टरनेट के माध्यम से अपने घर, इन्टरनेट-कैफे अथवा शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में स्थापित सहायता केन्द्रों से ऑनलाइन प्रवेश आवेदन-पत्र भर सकते हैं |

**प्रश्न क्रमांक-2: क्या प्रवेश हेतु पंजीयन एवं दस्तावेजों का सत्यापन करवाना अनिवार्य है?**

**उत्तर:** समस्त आवेदकों के लिए यह अनिवार्य है कि किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश लेने के पूर्व आवेदक का विभागीय पोर्टल पर पंजीयन हो तथा उसके दस्तावेजों का सत्यापन भी म.प्र. के किसी शासकीय महाविद्यालय से किया गया हो |

**प्रश्न क्रमांक-3: क्या छूट प्राप्त अल्पसंख्यक महाविद्यालय/संस्थाओं में भी प्रवेश के लिए पोर्टल पर पंजीयन एवं दस्तावेजों का सत्यापन करवाना अनिवार्य है?**

**उत्तर:** हां, अल्पसंख्यक महाविद्यालयों / संस्थाओं में प्रवेश के इच्छुक आवेदक को भी उच्च शिक्षा विभाग के पोर्टल [www.epravesh.nic.in](http://www.epravesh.nic.in) पर ऑनलाइन पंजीयन एवं दस्तावेजों का सत्यापन करवाना अनिवार्य है।

**प्रश्न क्रमांक-4: क्या ऑनलाइन पंजीयन करते समय आवेदन-पत्र हिंदी में भरने की सुविधा है ?**

**उत्तर:** आप अपना आवेदन हिंदी में नहीं भर सकते हैं परन्तु ऑनलाइन Module में आपकी सुविधा के लिए फार्म को हिंदी अथवा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में देखने का विकल्प उपलब्ध है |

**प्रश्न क्रमांक-5: विभिन्न महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों/विषय-समूह एवं उनमें उपलब्ध स्थानों (सीट्स) तथा फीस की जानकारी कैसे प्राप्त होगी ?**

**उत्तर:** जिलेवार महाविद्यालय उनमें संचालित पाठ्यक्रमों/विषय-समूह एवं उपलब्ध स्थानों (सीट्स) तथा फीस की जानकारी ऑनलाइन विभागीय पोर्टल के Module “**Colleges & Fee**” एवं “**Verified Courses**” पर उपलब्ध है। इस सुविधा बाबत विभागीय पोर्टल [www.mphighereducation.nic.in](http://www.mphighereducation.nic.in) पर लॉगइन करें |

## शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों में ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया 2014-2015

इस वर्ष विभाग द्वारा **Andriod Users** के लिए e-Pravesh एप भी उपलब्ध कराया गया है, जिसके माध्यम से आवेदक महाविद्यालयों एवं उसमें संचालित पाठ्यक्रमों की जानकारी एवं उनके कोड सर्च कर सकता है। इस एप के द्वारा आवेदक अपने पंजीयन की स्थिति भी जांच सकेंगे।

**प्रश्न क्रमांक-6: केंद्रीकृत ऑनलाइन प्रवेश सुविधा के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय मुझे क्या विशेष सावधानी रखनी होगी?**

**उत्तर:** विद्यार्थियों के लिए विभाग द्वारा जारी निर्देश-पुस्तिका, विद्यार्थियों के लिए पंजीयन करने हेतु **मैन्युअल** पोर्टल एवं विभागीय वेबसाइट [www.highereducation.mp.gov.in](http://www.highereducation.mp.gov.in) पर उपलब्ध है। आवेदन पत्र का प्रारूप निर्देश-पुस्तिका में दिया गया है। आप इसका प्रिंट-आउट प्राप्त कर लें तथा पहले इसे भर लें, ताकि ऑनलाइन आवेदन भरते समय समस्त जानकारियाँ आपके समक्ष रहें, इससे त्रुटि की सम्भावना नगण्य हो जाती है। आपको महाविद्यालय, पाठ्यक्रम, विषय-समूह एवं अधिभार की जानकारियाँ कोड के रूप में भरनी होंगी जो पोर्टल पर उपलब्ध है। महाविद्यालयों में संचालित प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए Eligibility Criteria का उल्लेख पोर्टल पर किया गया है, इसमें किसी भी प्रकार की संशय होने की स्थिति में सम्बंधित विश्वविद्यालय से अवश्य संपर्क करें।

**प्रश्न क्रमांक-7: मैं महाविद्यालय, पाठ्यक्रम, विषय-समूह इत्यादि के कोड कहाँ से प्राप्त करूँगा ?**

**उत्तर:** विभागीय पोर्टल पर महाविद्यालय, पाठ्यक्रम, विषय-समूह इत्यादि के कोड ढूँढने का विकल्प (सर्च-इंजिन: **Colleges & Fee** एवं **Verified Courses**) दिया गया है जिससे आप कोड प्राप्त कर सकते हैं। अन्य अधिभारों के कोड (Code for Additional Weightage) प्राप्त करने की सुविधा आवेदक को पंजीयन फार्म भरते समय भी लिंक के रूप में उपलब्ध रहेगी।

**प्रश्न क्रमांक-8: मेरा नाम "अतुल कुमार सिन्हा" है, जबकि ऑनलाइन पंजीयन फार्म में FirstName एवं LastName ही भरने की जगह दी गयी है, मैं अपना पूरा नाम कैसे प्रविष्ट करूँ?**

**उत्तर:** आप "अतुल" को तो FirstName में तथा "प्रसाद सिन्हा" को LastName में प्रविष्ट कर सकते हैं | इसी तरह आप "अतुल प्रसाद" को तो FirstName में तथा "सिन्हा" को LastName में प्रविष्ट कर सकते हैं | कृपया इस बात का अवश्य ध्यान रखे कि कक्षा XII की अंकसूची में आपके नाम की जो Spelling दर्ज है वही सत्यापन के समय मान्य होगी।

## शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों में ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया 2014-2015

प्रश्न क्रमांक-9: ऑनलाइन प्रवेश के लिए पंजीयन शुल्क कितना लगेगा ?

उत्तर: आवेदक को पंजीयन शुल्क रू. 100 एकमुश्त देय करना होगा।

प्रश्न क्रमांक-10: अधिकतम कितने महाविद्यालयों एवं पाठ्यक्रमों/विषय-समूहों का चयन किया जा सकता है?

उत्तर: एक या एक से अधिक महाविद्यालयों का चयन करने पर भी पंजीयन शुल्क रूपये 100 ही देय होगा तथा रूपये 100 में ही अधिकतम 09 महाविद्यालयों का चयन किया जा सकता है | प्रवेश प्रक्रिया के द्वितीय चरण में Re-Choice Filling करते समय अथवा अपग्रेड विकल्प चुनने पर भी कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा।

उदाहरणार्थ : एक आवेदक एक ही महाविद्यालय में तीनों संकायों (विज्ञान, कामर्स एवं कला) के विभिन्न विषय-समूहों में प्रवेश के लिए अपनी वरीयता ऑनलाइन आवेदन में देता है तो भी उसे मात्र सौ रूपये ही पंजीयन शुल्क के रूप में देय होंगे।

प्रश्न क्रमांक-11: दो अलग-अलग महाविद्यालयों में एक से अधिक पाठ्यक्रमों/विषय-समूहों का चयन करने पर कितना पंजीयन शुल्क लगेगा ?

उत्तर: दो अलग-अलग महाविद्यालयों में एक से अधिक पाठ्यक्रमों/विषय-समूहों का चयन करने पर भी पंजीयन शुल्क रूपये 100 ही लगेगा तथा दोनों महाविद्यालयों में कुल मिलाकर 09 विभिन्न पाठ्यक्रमों/विषय-समूहों की वरीयता दी जा सकती है |

प्रश्न क्रमांक-12: नौ अलग-अलग महाविद्यालयों का चयन करते हुए मैं कितने पाठ्यक्रमों/विषय-समूहों को ले सकता हूँ और इसके लिए मुझे कितना पंजीयन शुल्क देना होगा ?

उत्तर: नौ अलग-अलग महाविद्यालयों का चयन करते हुए आप केवल एक ही पाठ्यक्रम / विषय-समूह ले सकते हैं और इसके लिए भी आपको रूपये 100 पंजीयन शुल्क देय होगा |

उदाहरणार्थ: आवेदक केवल बी.एस-सी. (गणित, रसायन एवं भौतिकी) लेकर नौ अलग-अलग महाविद्यालयों की वरीयता दे सकता है। इसी प्रकार बी.ए. (अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान) लेकर एक आवेदक नौ अलग-अलग महाविद्यालयों की वरीयता दे सकता है |

## शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों में ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया 2014-2015

प्रश्न क्रमांक-13: क्या मैं वरीयता देते समय संकाय बदल सकता हूँ ?

उत्तर: हाँ, आप वरीयता देते समय संकाय भी बदल सकते हैं। परन्तु संकाय परिवर्तन की स्थिति में प्राप्तांकों के पांच प्रतिशत अंक कम कर तदनुसार गुणानुक्रम निर्धारित किया जावेगा। [देखें प्रवेश मार्गदर्शी सिद्धांत की कण्डिका 2.6.1(क)]

उदाहरण : एक आवेदक जिसने कक्षा 12वीं की परीक्षा गणित, रसायन एवं भौतिकी विषय के साथ उत्तीर्ण की है, वह वाणिज्य (कॉमर्स) संकाय को प्रथम वरीयता देते हुए दूसरे स्थान पर विज्ञान या अन्य संकाय को वरीयता दे सकता है। इसके साथ ही आवेदक तीसरे अथवा चौथे या अन्य किसी क्रम पर कामर्स को पुनः वरीयता भी दे सकता है।

प्रश्न क्रमांक-14: पंजीयन शुल्क का भुगतान किस प्रकार करना होगा ?

उत्तर : ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के बाद निर्धारित पंजीयन शुल्क, ऑनलाइन चालान का प्रिंट-आउट प्राप्त कर निर्दिष्ट बैंक में जमा करना होगा। चालान से भुगतान करने पर बैंक द्वारा प्रति चालान अधिकतम रूपये 20 का सेवा शुल्क अलग से लिया जावेगा।

आवेदक द्वारा पंजीयन शुल्क का भुगतान इन्टरनेट बैंकिंग के माध्यम से बगैर किसी ट्रांजेक्शनल शुल्क के किया जा सकता है, इन्टरनेट बैंकिंग में आवेदक को बैंक जाने की भी आवश्यकता नहीं होगी।

इस वर्ष से आवेदक पंजीयन शुल्क का भुगतान सम्बंधित बैंक के ATM cum Debit Card से भी कर सकता है।

पंजीयन शुल्क निर्धारित अंतिम तिथि तक जमा होने के पश्चात ही आवेदक का आवेदन-पत्र मान्य होगा।

चालान द्वारा बैंक में जाकर शुल्क जमा करने का विकल्प चुनने की स्थिति में आवेदक इस बात का ध्यान रखे कि प्रिंट आउट से चालान प्राप्त होने की तिथि के अगले कार्यदिवस से लेकर निर्धारित अंतिम तिथि के बीच पंजीयन राशि बैंक में जमा करने अवश्य जावे।

आवेदक कृपया ध्यान रखें कि स्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु 23 जून 2014 तथा स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर हेतु 25 जून 2014 दस्तावेजों के सत्यापन की अंतिम तिथि है।

उदाहरण-1: आवेदक ने शनिवार दिनांक 14 जून 2014 को शाम 07 बजे पोर्टल पर अपना पंजीयन करवाया है, अगले दिन रविवार होने के कारण आवेदक को पंजीयन राशि जमा करने के लिए सोमवार दिनांक 16 जून से 21 जून 2014 के मध्य बैंक जाना होगा।

## शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों में ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया 2014-2015

**उदाहरण-2:** आवेदक ने रविवार दिनांक 15 जून 2014 को दोपहर 03:00 बजे पोर्टल पर अपना पंजीयन कर चालान generate किया है, रविवार होने के कारण आवेदक को पंजीयन राशि जमा करने के लिए मंगलवार दिनांक 17 जून से 21 जून 2014 के मध्य बैंक जाना होगा ।

**प्रश्न क्रमांक-15: मैं कौन-कौन से बैंक में जाकर पंजीयन राशि जमा करवा सकता हूँ ?**

**उत्तर :** वर्तमान में निम्न चार बैंको की किसी भी शाखा में आप पंजीयन राशि जमा कर सकते हैं:

1. State Bank of India भारतीय स्टेट बैंक
2. Punjab National Bank पंजाब नेशनल बैंक
3. Bank of Baroda बैंक ऑफ बड़ोदा
4. Central Bank of India सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया

**प्रश्न क्रमांक-16: पंजीयन शुल्क का भुगतान बैंक के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से भी किया जा सकता है?**

**उत्तर :** नहीं, आपको पंजीयन शुल्क का भुगतान बैंक के द्वारा चालान अथवा इंटरनेट-बैंकिंग के माध्यम से ही करना होगा । अन्य किसी वैकल्पिक माध्यम जैसे: नगद, किओस्क, ड्राफ्ट, पोस्टल आर्डर इत्यादि से पंजीयन राशि जमा नहीं की जा सकती है।

**प्रश्न क्रमांक-17 : पंजीयन की अंतिम तिथि निकल जाने के पश्चात् क्या मुझे बगैर पंजीयन के प्रवेश मिल सकता है?**

**उत्तर :** नहीं, पंजीयन की अंतिम तिथि निकल जाने के पश्चात् बगैर पंजीयन के प्रवेश नहीं मिल सकता है। पंजीयन एवं दस्तावेजों का सत्यापन करवा चुके आवेदक ही प्रवेश प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में सम्मिलित हो सकेंगे ।

**प्रश्न क्रमांक-18 : पंजीयन शुल्क का भुगतान किये बगैर क्या मैं हेल्पसेन्टर जा कर अपने दस्तावेजों का सत्यापन करवा सकता हूँ ?**

**उत्तर :** हाँ, पंजीयन शुल्क का भुगतान बैंक में किये बगैर हेल्पसेन्टर (शासकीय महाविद्यालय) जाकर आप अपने दस्तावेजों का सत्यापन करवा सकते हैं । परन्तु ध्यान रखें कि पंजीयन शुल्क निर्धारित अंतिम तिथि तक जमा होने के पश्चात् ही आपका आवेदन मान्य होगा। अतः आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे पंजीयन राशि जमा करने का प्रमाण लेकर ही दस्तावेजों का सत्यापन करवाने जावें ताकि पंजीयन शुल्क जमा न करने के कारण प्रवेश के समय उनका आवेदन अमान्य न हो।

## शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों में ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया 2014-2015

**प्रश्न क्रमांक-19 : आवेदक-आई.डी. (Applicant-id) क्या है एवं यह कैसे प्राप्त होती है ?**

**उत्तर :** ऑनलाइन प्रवेश हेतु सफलतापूर्वक पंजीयन करने के उपरांत पोर्टल द्वारा आपको एक आवेदक-आई.डी. (Applicant-id) प्रदान किया जावेगा | इसे हमेशा संभाल कर रखे |

**प्रश्न क्रमांक-20 : सीक्रेट-की (Secret-Key) क्या है? तथा इसे कैसे बनाया जाता है ?**

**उत्तर :** ऑनलाइन प्रवेश सुविधा के अंतर्गत पंजीयन करने की प्रक्रिया के अंत में, आपको चार अंको का एक नंबर सीक्रेट-की (Secret-Key) के रूप में दो बार प्रविष्ट करना होता है | यही आपके द्वारा बनाया गया एक पासवर्ड है, और, इसे आपको याद रखना होगा |

**प्रश्न क्रमांक-21 : सीक्रेट-की (Secret-Key) भूल जाने की स्थिति में, मैं उसे कैसे प्राप्त करूँगा ?**

**उत्तर :** उच्च शिक्षा विभाग के पोर्टल [www.mphighereducation.nic.in](http://www.mphighereducation.nic.in) पर सीक्रेट-की को पुनः बनाने के लिए एक Reset Secret-Key नामक मोड्यूल दिया गया है| इस मोड्यूल में आवेदक को सही-सही व्यक्तिगत जानकारियाँ प्रविष्ट करनी होंगी| ऐसा करने पर ही आवेदक नयी सीक्रेट-की स्वयं बना सकेगा | अतः आवेदकों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपना ऑनलाइन आवेदन स्वयं ही भरें ताकि उन्हें समस्त प्रविष्टियाँ पता रहें |

**प्रश्न क्रमांक-22 : बारहवीं कक्षा में पूरक होने पर मैं प्रवेश कैसे प्राप्त करूँगा ?**

**उत्तर :** पूरक प्राप्त आवेदकों को भी पोर्टल पर पंजीयन कराना अनिवार्य है | पंजीयन उपरांत दस्तावेजों का सत्यापन एवं पंजीयन शुल्क का भुगतान भी करना होगा| स्थान रिक्त रहने पर CLC चरण में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी |

**प्रश्न क्रमांक-23 : क्या मैं स्वयं द्वारा दी गई महाविद्यालयों/पाठ्यक्रमों/विषय-समूहों की वरीयताएँ बदल सकता हूँ ?**

**उत्तर :** हाँ, दस्तावेजों के सत्यापन के पूर्व कभी भी आपके द्वारा दी गई महाविद्यालयों / पाठ्यक्रमों / विषय-समूहों की वरीयताएँ बदली जा सकती हैं | इसके लिए आपको अपने Applicant-id एवं सीक्रेट-की से पोर्टल पर Login करना होगा, परन्तु ध्यान रहे कि हेल्प-सेन्टर द्वारा सत्यापन के उपरान्त किसी भी स्थिति में कोई भी प्रविष्टि बदली नहीं जावेगी |

## शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों में ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया 2014-2015

**प्रश्न क्रमांक-24 :** ऑनलाइन आवेदन भरते समय गलत जानकारी भूलवश भर गयी है, क्या उसे ठीक किया जा सकता है ?

**उत्तर :** हाँ, दस्तावेजों के सत्यापन से पूर्व कभी भी संबंधित जानकारियों को बदला जा सकता है। सत्यापन के पश्चात् किसी भी स्थिति में बदलना संभव नहीं होगा।

**प्रश्न क्रमांक-25 :** भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र में, मैं जो भी परिवर्तन बार-बार करूँगा, क्या उसका कोई प्रमाण आवेदन पत्र पर अंकित होगा ?

**उत्तर :** हाँ, आपके द्वारा आवेदन पत्र में जितनी बार भी परिवर्तन किया जावेगा, उतनी बार आवेदन पत्र पर Applicant Version क्रमांक (1,2,3, ....., इत्यादि) बदलेगा तथा आप जो आवेदन-पत्र का प्रिंट-आउट प्राप्त करेंगे उस पर यह अंकित होगा।

**प्रश्न क्रमांक-26 :** आवेदन पत्र पर अंकित Version क्रमांक की क्या उपयोगिता होगी?

**उत्तर :** दस्तावेजों के सत्यापन के समय, आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पर अंकित Version क्रमांक का मिलान ऑनलाइन Verification Module में दर्ज Version क्रमांक से किया जावेगा। मिलान होने की अवस्था में ही आवेदन का Verification संबंधित अधिकारी द्वारा किया जावेगा। आवेदक ध्यान रखे कि अंतिम Version वाला आवेदन-पत्र ही दस्तावेजों के सत्यापन के समय प्रस्तुत करें। पुराना Version वाला आवेदन-पत्र मान्य नहीं है।

**प्रश्न क्रमांक-27 :** मेरी कक्षा 12वीं की अंकसूची में ग्रेड दिए गए हैं तब मैं किस प्रकार उसे ऑनलाइन आवेदन में दर्ज करूँगा ?

**उत्तर :** यदि आपकी अंकसूची में ग्रेड पॉइंट दिए गए हैं और अंकसूची पर समतुल्य अंको की गणना करने का सूत्र वर्णित है तो आप ग्रेड को अंको में बदलकर ही आवेदन में डालेंगे अन्यथा ग्रेड पॉइंट को प्रतिशत में बदलकर सीधे ही डालना होगा।

**प्रश्न क्रमांक-28 :** इंटरनेट की अंकसूची होने पर क्या प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है?

**उत्तर :** अहर्ताकारी परीक्षा की मूल अंकसूची के अभाव में सत्यापन हेतु इंटरनेट से डाउनलोड की गयी अंकसूची मान्य होगी। प्रवेश के समय भी मूल अंकसूची के अभाव में वचन-पत्र (Affidavit) प्रस्तुत करने पर प्रवेश मान्य होगा, किन्तु निर्धारित समयावधि में मूल अंकसूची अवश्य प्रस्तुत करनी होगी।

## शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों में ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया 2014-2015

प्रश्न क्रमांक-29 : दस्तावेजों का सत्यापन कहाँ से करवाना है ?

उत्तर : ऑनलाइन आवेदन में दर्ज जानकारियों का मिलान, मूल दस्तावेजों से सत्यापन, प्रदेश के किसी भी शासकीय महाविद्यालय (हेल्प-सेंटर) से करवाया जा सकता है।

प्रश्न क्रमांक-30: दस्तावेजों के सत्यापन के लिए कौन-कौन से दस्तावेजों को लेकर शासकीय महाविद्यालय जाना होगा?

उत्तर : ऑनलाइन आवेदन में दर्ज जानकारियों के संबंध में सभी मूल दस्तावेज लेकर जाना होगा। विशेष रूप से वे सभी मूल दस्तावेज जिनके आधार पर प्रवेश की पात्रता एवं मेरिट का निर्धारण होना है, जैसे: अंकसूची, जाति, संवर्ग, एन.सी.सी./ एन.एस.एस., खेलकूद के प्रमाण पत्र, इत्यादि। आपको अपने आवेदन की अंतिम Version की दो प्रतियों को लेकर समस्त प्रमाण पत्रों की छायाप्रतियों के दो सेट्स के साथ हेल्पसेन्टर जाना होगा। आवेदन-पत्र के प्रिंटआउट पर, आवेदक द्वारा प्रविष्टियों की जांच करने के उपरान्त (√) लगाने बाबत स्थान निर्धारित किया गया है। समस्त आवेदक प्रविष्टियों की सूक्ष्म जांच अवश्य करें।

प्रश्न क्रमांक-31 : दस्तावेजों के सत्यापन की क्या प्रक्रिया होगी ?

उत्तर : आवेदन-पत्र के प्रिंटआउट पर, प्रमाणीकरण-अधिकारी द्वारा प्रविष्टियों की जांच करने के लिए उपरान्त (√) लगाने बाबत स्थान निर्धारित किया गया है। प्रविष्टियों का मिलान मूल दस्तावेजों से होने के उपरान्त सत्यापनकर्ता प्रमाणीकरण-अधिकारी निर्धारित स्थान पर (√) लगाएगा तथा प्रमाणस्वरूप अपने हस्ताक्षर एवं नाम का उल्लेख करते हुए महाविद्यालय की मोहर लगायेगा।

आवेदन पत्र की एक प्रति आवेदक को प्रदान की जावेगी तथा दूसरी प्रति दस्तावेजों की छायाप्रतियों के साथ महाविद्यालय अपने पास रिकॉर्ड हेतु रखेंगे। आवेदन की दोनों प्रतियों पर आवेदक एवं सत्यापन-अधिकारी को हस्ताक्षर करने होंगे।

**विशेष:** दस्तावेजों के सत्यापन एवं पोर्टल पर उसकी जानकारी प्रविष्ट करने के पश्चात् सत्यापनकर्ता अधिकारी, आवेदक को पोर्टल से प्राप्त Verification Slip देगा। सभी आवेदक इसको अवश्य प्राप्त करें, इसके अभाव में माना जायेगा कि दस्तावेजों का सत्यापन नहीं किया गया है। Verification Slip का प्रिंटआउट आवेदक अपने Application-ID डालकर पृथक से भी प्राप्त कर सकता है।

प्रश्न क्रमांक-32 : सत्यापन के समय त्रुटि मिलने पर क्या करना होगा ?

उत्तर : सत्यापन के समय वांछित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने अथवा दर्ज जानकारी गलत होने पर प्रमाणीकरण-अधिकारी आपत्ति लेंगे। तब किसी इंटरनेट कैफे अथवा महाविद्यालय में स्थापित सहायता केंद्र में जाकर आपत्ति का निराकरण करें, तत्पश्चात् आवेदन पत्र की दो प्रतियों का प्रिंट कर पुनः सत्यापन कार्य करवाएं।



## शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों में ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया 2014-2015

**प्रश्न क्रमांक-33 : क्या दस्तावेजों के सत्यापन के पश्चात् भी त्रुटि सुधार अथवा भरी गयी जानकारी में सुधार संभव है ?**

**उत्तर :** एक बार सत्यापन करा लेने के बाद आवेदक द्वारा दर्ज जानकारियों में किसी भी प्रकार का संशोधन संभव नहीं है | ऑनलाइन सत्यापन की प्रविष्टि पोर्टल पर करने के पश्चात् समस्त जानकारियाँ स्वतः लॉक हो जाती हैं |

**प्रश्न क्रमांक-34 : क्या प्रवेश के लिए अधिभार दिया जाता है ?**

**उत्तर :** हाँ, इसके लिए दिनांक 25 अप्रैल 2014 को विभाग द्वारा जारी प्रवेश मार्गदर्शी सिद्धांत में विस्तृत विवरण दिया गया है | मान्य प्रमाण पत्र के आधार पर अधिभार दिया जाता है | अधिभार हेतु विगत चार वर्षों में अर्जित प्रमाण पत्रों को मान्य किया जाता है तथा एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर अधिकतम अधिभार प्राप्त किसी एक ही प्रमाणपत्र को मान्य किया जावेगा| ऑनलाइन आवेदन पत्र में प्रमाण-पत्र का उचित कोड प्रविष्ट करना होगा |

**प्रश्न क्रमांक-35 : प्रवेश के लिए मेरिट कैसे बनायी जावेगी ?**

**उत्तर :** प्रवेश के लिए विद्यार्थी की मेरिट प्राप्तांको में समस्त प्रकार के श्रेणी एवं संवर्ग के लिए मान्य आरक्षण नियमों एवं अन्य मान्य अधिभारों को जोड़ते हुए निर्धारित की जावेगी | प्रवेश प्रदान करते समय उसके द्वारा दिए गए महाविद्यालय/पाठ्यक्रम/विषय-समूह की उच्चतम वरीयता को ध्यान में रख कर प्रवेश दिया जावेगा | यदि आरक्षित श्रेणी का आवेदक सामान्य वर्ग के कटऑफ़ से अधिक अंक होने से प्रवेश प्राप्त करता है तो उसे सामान्य श्रेणी के स्थानों पर प्रवेश दिया जावेगा | इससे आवेदक को आरक्षित संवर्ग में प्राप्त होने वाली सुविधाएं यथावत रहेंगी |

**प्रश्न क्रमांक-36 : बी.ए. में विषय-समूह कैसे आवंटित होगा ?**

**उत्तर :** प्रत्येक महाविद्यालय में बी.ए. पाठ्यक्रम में बहुत सारे विषय-समूह सम्मिलित होते हैं, जबकि आवेदक को केवल एक ही विषय-समूह अपनी इच्छानुसार लेना होता है। महाविद्यालयों में विषय-समूह वार सीट्स की संख्या निर्धारित नहीं होती है, ऐसी स्थिति में विषय-समूह-वार आवंटन किया जाना संभव नहीं है | बी.ए. की वर्तमान ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया में आवेदकों को मेरिट अनुसार महाविद्यालय आवंटित किये जावेंगे | विद्यार्थी को आवंटित महाविद्यालय में ही विषय-समूह प्रदान किये जावेंगे, अतः आवेदन प्रस्तुत करते समय आवेदक केवल उन्ही महाविद्यालयों को चुने जिनमें उनके द्वारा चाहा गया विषय-समूह संचालित हो रहा हो | विषय समूह चयन करने की जिम्मेदारी विद्यार्थी की होगी |

## शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों में ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया 2014-2015

प्रश्न क्रमांक-37 : प्रवेश आवंटन पत्र कैसे प्राप्त होगा ?

उत्तर : उच्च शिक्षा विभाग के पोर्टल [www.mphighereducation.nic.in](http://www.mphighereducation.nic.in) पर मेरिट एवं प्रस्तुत वरीयताओं के आधार पर निर्धारित कार्यक्रमानुसार ऑनलाइन प्रवेश आवंटन-पत्र जारी किये जावेंगे। आवंटन प्राप्त करने के लिये आवेदक को अपना Application-Id एवं Secret-Key डालते हुए पोर्टल पर Login करना होगा। प्रथम चरण की प्रवेश सूची 28 जून 2014 को जारी की जावेगी। शेष जानकारियों के लिए प्रवेश समय सारिणी पोर्टल एवं वेबसाइट पर जारी की गयी है।

प्रश्न क्रमांक-38 : आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश के समय क्या पुनः दस्तावेजों का सत्यापन करवाना होगा ?

उत्तर : हाँ, आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश के समय आपके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के सत्यापन का कार्य पुनः होगा।

प्रश्न क्रमांक-39 : आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश के समय पुनः सत्यापन के दौरान त्रुटि मिलने पर प्रवेश आवंटन का क्या होगा ?

उत्तर : आवंटन पश्चात् महाविद्यालय में प्रवेश के समय अहर्ता पूर्ण नहीं करने अथवा दर्ज जानकारी गलत होने पर प्रवेश प्रदान नहीं किया जावेगा एवं आवंटन निरस्त किया जा सकता है।

प्रश्न क्रमांक-40 : क्या प्रवेश अन्य किसी कारण से भी निरस्त हो सकता है ?

उत्तर : हाँ, आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश के समय दिए गए वचन पत्रानुसार मूल दस्तावेज जमा नहीं कराने / निर्धारित समयावधि में प्रवेश शुल्क का भुगतान नहीं करने / आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करने / गलत जानकारी दिये जाने पर प्रवेश निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी। प्रवेश उपरान्त प्रवेश निरस्त करने का अधिकार सम्बंधित महाविद्यालय के प्राचार्य को होगा।

प्रश्न क्रमांक-41 : प्रवेश शुल्क का भुगतान कैसे करना होगा ?

उत्तर : आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश संबंधी औपचारिकताएँ पूर्ण होने पर प्रवेश शुल्क का भुगतान आवंटित महाविद्यालय में ही करना होगा। शुल्क भुगतान होने के पश्चात् ही प्रवेश मान्य होगा। आवंटित महाविद्यालय द्वारा प्रवेश हो जाने की जानकारी निर्धारित समय के पूर्व ऑनलाइन module में देनी होगी। इसी आधार पर अगले चरणों में रिक्त रह गए स्थानों पर प्रवेश प्रदान किया जा सकेगा। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि, प्रवेश उपरान्त वे स्वयं विभागीय पोर्टल पर अपने प्रवेश की जानकारी अवश्य प्राप्त करें एवं इसका प्रिंटआउट अपने पास रिकॉर्ड हेतु रखें।

## शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों में ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया 2014-2015

प्रश्न क्रमांक-42 : प्रवेश के समय मूल स्थानांतरण प्रमाण-पत्र (Original-TC) उपलब्ध न होने पर भी क्या प्रवेश दिया जावेगा ?

उत्तर : प्रवेश के समय मूल स्थानांतरण प्रमाण-पत्र (Original-TC) उपलब्ध न होने पर भी वचन पत्र के आधार पर प्रवेश दिया जावेगा, परन्तु निर्धारित तिथि तक मूल TC जमा ना करने की स्थिति में प्रवेश निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।

प्रश्न क्रमांक-43 : प्रथम चरण में आवंटित महाविद्यालय/पाठ्यक्रम/विषय-समूह में प्रवेश नहीं लेने पर क्या होगा ?

उत्तर : नियमानुसार द्वितीय चरण हेतु पुनः प्रवेश हेतु वरीयताएं दे सकते हैं अथवा अपग्रेड का विकल्प चुन सकते हैं ।

प्रश्न क्रमांक-44 : पहले चरण में प्रवेश न मिलने पर दूसरे चरण में Choice-Filling करने की प्रक्रिया क्या होगी ?

उत्तर : पहले चरण में प्रवेश न मिलने की स्थिति में, आवेदक चाहे तो दूसरे चरण के लिए अपने विकल्प बदल सकता है । विकल्प न बदलने की स्थिति में उसे पूर्व विकल्पों के साथ ही दूसरे चरण की आवंटन प्रक्रिया में सम्मिलित किया जावेगा ।

प्रश्न क्रमांक-45 : पहले चरण में दूसरे से लेकर नौवें विकल्पों में से किसी एक पर सीट आवंटित होने पर क्या मैं दूसरे चरण में Upgrade करने का विकल्प चुन सकता हूँ ?

उत्तर : हां, आवेदक चाहे तो उच्च विकल्प पर सीट आवंटन हेतु Upgrade करने का विकल्प चुन सकता है । अपग्रेड विकल्प चुनने वाले आवेदकों को दूसरे चरण में पुनः सम्मिलित करते हुए महाविद्यालय आवंटित किये जावेंगे ।

प्रश्न क्रमांक-46: पहले दो चरणों में चुने गए महाविद्यालयों के विकल्पों में गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश नहीं मिलने पर क्या होगा ?

उत्तर : CLC चरण में रिक्त रह गयी सीट्स पर प्रवेश प्राप्त किया जा सकता है ।

प्रश्न क्रमांक-47 : ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के अंत में महाविद्यालय स्तर पर रिक्त रह गए स्थानों पर कैसे प्रवेश प्राप्त किया जा सकता है ?

उत्तर : रिक्त रह गयी सीटों पर महाविद्यालय स्तर की Counselling में प्रवेश प्रदान किया जावेगा, लेकिन इसके लिए आवेदक का ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया में पंजीकृत होना आवश्यक है ।

**शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों में ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया 2014-2015**

प्रश्न क्रमांक-48 : 12वीं में बायो विषय-समूह के साथ मैंने गणित भी अतिरिक्त विषय के रूप में लिया है, क्या मैं B.Sc. (Mathematics) Honours पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकता हूँ ?

उत्तर : आप अपना आवेदन प्रस्तुत करते समय संबंधित विश्वविद्यालय से पाठ्यक्रम में प्रवेश की पात्रता (Eligibility for Admission) की जानकारी अवश्य प्राप्त कर ले, उसके बाद ही विषयों का चयन करें |

=====